न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 06/2023 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2023/5

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. गोपीकिशन उर्फ गोपीराम पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. श्रामलाल पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. भगवानाराम पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. तुलसीराम पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।.
6. अणची देवी पत्नी स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. सीता देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. मघा देवी उर्फ मगा देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. पुष्पा पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. कमला देवी उर्फ कमा देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. संतोष देवी पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. हीरा उर्फ सरोज पुत्री स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी रामदेवजी मंदिर के पास सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

—— **रेस्पोन्डेंट**

उपस्थितः श्री अजय कुमार ओझा — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 18.04.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 31.03.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही ग्राम करमीसर तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 88/60/7 तादादी 72 बीघा 13 बिस्वा में 25 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज श्रीकिसन पुत्र सरदारा जाति माली साकिन सुजानदेसर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट्स के पूर्वज स्व. श्रीकिसन पुत्र सरदारा के नाम खातेदारी सनद संख्या 31 दिनांक 26.12.1997 को जारी की गई। खातेदारी सनद संख्या 31 दिनांक 26.12.1997 की पालना में खातेदारी इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 दर्ज किया गया। तहसीलदार बीकानेर इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 को पुर्नविलोकन कर उक्त इंतकाल के पुश्त पर आदेश दिनांक 31.03.2008 अंकन किया कि **''स्वीकृति नामान्तरकरण संख्या 464 में अंकित प्रविष्टि खाता नम्बर 1 खसरा संख्या 88/60/7 के संबंध में पुनः रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह ध्यान में आया कि खातेदारी सनद का रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो रहा है। अतः नामान्तकरण संख्या 468 का पुर्नविलोकन कर नामान्तरकरण में अंकित खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 88/60/7 की खातेदारी प्रविष्टि की हद तक अस्वीकृत किया जाता है। रिकॉर्ड में अंकन किया जावे''**। उक्त आदेश दिनांक 31.03.2008 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री अजय कुमार ओझा ने अपनी बहस में कथन किया है कि रोही कस्बा करमीसर के खसरा नंबर 88/60/7 तादादी 72 बीघा 13 बिस्वा में 25 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज श्रीकिसन पुत्र सरदारा जाति माली साकिन सुजानदेसर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट्स के पूर्वज स्व. श्रीकिसन पुत्र सरदारा के नाम खातेदारी सनद संख्या 31 दिनांक 26.12.1997 को जारी की गई। खातेदारी सनद संख्या 31 दिनांक 26.12.1997 की पालना में खातेदारी इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल संख्या 468 में हल्का पटवारी करमीसर के द्वारा रिकॉर्ड और खातेदारी सनद में वर्णित भूमि का मिलान करने के पश्चात ही उक्त खातेदारी की पालना में इंतकाल भर कर भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर भू–अभिलेख के द्वारा रिकॉर्ड में खातेदारी आदेश से मिलान किया, अंकन सही है की टिप्पणी करते हुए अपने हस्ताक्षर उक्त इंतकाल पर किया गये। तदनुसार तहसीलदार बीकानेर के द्वारा इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 स्वीकार किया। जिससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांट्स के पूर्वज श्रीकिशन पुत्र सरदारा के नाम से जारी खातेदारी सनद विधिवत व रिकॉर्ड के अनुसार तहसीलदार बीकानेर के द्वारा जारी की गई थी। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड के अनुसार ही इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 स्वीकार किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके एवं कानूनी प्रावधानों को दर किनार करते हुए रिव्यू आदेश दिनांक 31.03.2008 के द्वारा इंतकाल संख्या 468 को अस्वीकार किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2008 निरस्त किया जावे।

4— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार बीकानेर ने इंतकाल संख्या 468 के पुश्त पर पुर्नविलोकन कर उक्त इंतकाल को खातेदारी सनद का रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। अतः तहसीलदार बीकानेर द्वारा पारित आदेश उचित है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 में हल्का पटवारी करमीसर के द्वारा रिकॉर्ड और खातेदारी सनद में वर्णित भूमि का मिलान करने के पश्चात ही उक्त खातेदारी की पालना में इंतकाल भर कर भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर भू–अभिलेख के द्वारा रिकॉर्ड में खातेदारी आदेश से मिलान किया, अंकन सही है की टिप्पणी करते हुए अपने हस्ताक्षर उक्त इंतकाल पर किए। जिसके आधार पर ही तहसीलदार बीकानेर के द्वारा इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 स्वीकार किया। न्यायालय तहसीलदार बीकानेर द्वारा इंतकाल संख्या 468 विधिसम्मत प्रक्रिया अपना कर पारित किया गया है। इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 को जारी करने के पश्चात इस इंतकाल के पुश्त पर ही आदेश दिनांक 31.03.2008 द्वारा उक्त इंतकाल को अस्वीकार कर दिया है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2008 को निरस्त करते हुए इंतकाल संख्या 468 दिनांक 27.03.2008 को यथावत रखा जाता है।

6— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर